



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2009/पौष 24, 1930

No. 87]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2009/PAUSA 24, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2009

का.आ. 141(अ).—यतः नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 17 सितम्बर, 2008 का सं. का.आ. 2217(अ) तथा दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के शुद्धि-पत्र सं. का.आ. 2448(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

जोन-एफ में वसंत विहार के 2.052 एकड़ भू-क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :-

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन-एफ में वसंत विहार	2.052 एकड़	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	पूर्व : 8 मी. चौड़ी सड़क, मार्केट और सरकारी भूमि पश्चिम : 12 मी. सड़क, मिजोरम गेस्ट हाऊस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का स्कूल उत्तर : सरकारी भूमि दक्षिण : 12 मी. चौड़ी सड़क

[ सं. के.-13011/6/2008-डी डी आई बी ]

पी. के. सांतारा, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(DELHI DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 2009

**S.O. 141(E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 2217(E) dated 17th September, 2008 and corrigendum No. S.O. 2448(E), dated 14th October, 2008 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said corrigendum.

2. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

**Modification :**

The land use of the following area measuring 2.052 acres in Vasant Vihar falling in Zone-F is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Vasant Vihar, in Zone-F	2.052 acres	Residential	Public and Semi-Public Facilities	<b>East :</b> 8 mtr. wide road, market and Govt. land <b>West :</b> 12 mtr. road, Mizoram Guest House and GNCTD School <b>North :</b> Govt. land <b>South :</b> 12 mtr. wide road.

[No. K-13011/6/2008-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.